

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

जोसीन अधिकारी - रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 167/2025

अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

## भागवतराम बनाम गेरीदेवी व अन्य

प्रार्थी वकील - श्री जुगतसिंह सोढ़ा

विप्रार्थीगण वकील - एकतरफा

-:: निर्णय ::-

दिनांक - 17.02.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा गुमानपुरा में खसरा सं. 1232/93, 1234/94, 1236/95 रकबा कमशः 1.2505, 1.0077, 1.0805 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र बावड़ी कला, तहसील चौहटन में स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा गुमानपुरा में खसरा सं. 1232/93, 1234/94, 1236/95 रकबा कमशः 1.2505, 1.0077, 1.0805 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र बावड़ी कला, तहसील चौहटन की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है।

नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी चौहटन